आवश्यक/बैठक/समयबद्ध

संख्या:40/2018/3268/12-2-2018-एस.85/2008

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, कानपुर।
3. जिलाधिकारी, इलाहाबाद/प्रतापगढ/कौशाम्बी/फतेहपुर/कानपुर नगर/कानपुर देहात/इटावा/फर्रूखाबाद/कन्नौज/औरेया।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 अक्टूबर, 2018

विषय: रबी अभियान 2018-19 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 37/2018/3172/12-2-2018-एस.85/2008 दिनांक 28 सितम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रबी अभियान 2018-19 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन की तिथियॉ निर्धारित की गयी हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के क्रमांक-3 में अंकित इलाहाबाद मण्डल की पूर्व निर्धारित गोष्ठी की तिथि 12 अक्टूबर, 2018 को अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित करते हुए अब उक्त गोष्ठी दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 को मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

कानपुर मण्डल में आयोजित होने वाली गोष्ठी पूर्व निर्धारित तिथि अर्थात दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 को मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। अत: तदनुसार रबी उत्पादकता गोष्ठियों का आयोजन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3. अन्य शेष मण्डलों में आयोजित होने वाली रबी गोष्ठियॉ शासन के पत्र दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के अनुसार यथावत रहेंगीं।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 40/2018/3268(1)/12-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागतवित्त/समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/मत्स्य/दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद/कानपुर/मेरठ/डीम्ड विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3.आयुक्त, ग्राम्य विकास/गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4.अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5.परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6.आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7.प्रशासक, शारदा सहायक राम गंगा समादेश, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8.निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायती राज विभाग/कृषि विज्ञान संस्थान/ वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9.प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम/कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/भूमि सुधार निगम/कोआपरेटिव बैंक लि0/यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10.प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/मुख्य अभियन्ता, नलकूप पूर्व/पश्चिम विक्टोरिया पार्क, मेरठ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11.महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12.सामान्य प्रबंधक, संबंधित बीमा कम्पनियाँ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13.क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, चारबाग, लखनऊ द्वारा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

14.विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

15.समस्त संयुक्त/उप कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

16.समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

17.कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रबी गोष्ठी के आयोजन की सूचना अपने स्तर से समस्त संबंधित को तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

18.सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

19.निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

20.निजी सचिव, मा0 राज्य मत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।